



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 28 राँची, मंगलवार, 19 पौष, 1945 (श०)
9 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-2/2019-24943 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर, सम्प्रति उप सचिव- योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1888 दिनांक-31.03.2022 के माध्यम से प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर के पत्रांक-725 दिनांक-26.09.2019 द्वारा गठित आरोप-पत्र तथा प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर के पत्रांक-268 दिनांक-01.12.2022 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित क्रमशः निम्नांकित आरोपों को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है:-

आरोप- 1 - वर्ष-2015 में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मौजा-घाघीडीह, थाना-घाटशिला, थाना नं०-1169 में खरकई बराज से निकलने वाली दाँयी मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की तैयार किये गये खेसरा में से खाता सं०-43, प्लॉट संख्या-5282, रकबा-0.77 एकड़ के मुआवजा भुगतान के पश्चात् पंचाटी से चेक लेकर श्री रुद्र प्रसन्न आचार्य, मापक तथा श्री राम नगीना गुप्ता, प्रभारी रोकड़पाल के माध्यम से श्री मोंगला मुर्मू के A/c No 453310310000543 से अवैध रूप से राशि प्राप्त किया गया है ।

आरोप- 2 - वर्ष 2013 में अभिलेख संख्या-121/2012-13 ग्राम-घाघीडीह, चादर संख्या-2, थाना-घाटशिला थाना संख्या-1169, जिला-पूर्वी सिंहभूम के अन्तर्गत खरकई बराज से निकलने वाली दाँयी मुख्य नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की तैयार किये गये खेसरा में से खाता सं०-30, प्लॉट संख्या-5146, रकबा-1.42 एकड़ जो जुगसलाई गौरक्षी गौशाला के खतियानी भूमि है, की पंचाटित राशि को फर्जी एकरारनामा एवं गलत दखल संबंधी प्रतिवेदन के आधार पर रुपये 1.73 करोड़ के गलत भुगतान का प्रयास किया गया है ।

2. अतः श्री बास्के के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री बास्के को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री बास्के द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री बास्के के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० एवं श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LAKHI RAM BASKEY 20060400007	श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी-03, मानगो, शिविर आदित्यपुर, सम्प्रति उप सचिव- योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
